राजस्थान सरकार,
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडे-सी एरिया स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास,जयपुर–16
Website- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in E-Mail- caodlb@gmail.com Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांकः–प.8(ट)(329)/लेखा/डीएलबी/एमजेएसए/2018/ 576 दिनांक 1-6-18

= स्वीकृति आदेश =

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्यों के भुगतान हेतु वर्ष 2018–19 में नीचे वर्णित सूची के अनुसार राज्य के नगर निकायों को कुल राशि रू. 1085.47 लाख (अक्षरे राशि रू. दस करोड़ पिच्यासी लाख सैतालीस हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुये उनके निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

(राशि रू. लाखों में)

विकलेय मद	बजट प्रावधान वर्ष 2018–19	अतिरिक्त प्रावधान के साथ पूर्व में रिलीज राशि	अतिरिक्त प्रावधान एवं रिलीज हेतु उपलब्ध राशि	इस स्वीकृति से रिलीज राशि
2217– शहरी विकास 80– सामान्य 191–नगर निगमों को सहायता (80)–जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय [01] – स्थानीय निकाय के माध्यम से 12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि	0.01	406.35	3384.86	1085.47

हस्तानान्तरण योग्य राशि का वितरण–

(राशि रू. लाखों में)

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	हस्तानान्तरण योग्य कुल राशि
1	2	3
01.	कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर (1110) निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।	361.00
02.	कोष कार्यालय, जयपुर शहर(1103) नगर निगम जयपुर।	333.38
03.	कोष कार्यालय, अजमेर (1091) नगर निगम, अजमेर।	111.51
04.	कोष कार्यालय, जोधपुर शहर (1117) नगर निगम, जोधपुर।	15.98
05.	कोष कार्यालय,उदयपुर शहर (1128) नगर निगम, उदयपुर।	66.10
06.	कोष कार्यालय,बीकानेर (1099) नगर निगम, बीकानेर।	197.50
	योग	1085.47

उक्त राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट–2012/नियम–2013 के तत्सम्बन्धी नियमों/उपबन्धों की निर्धारित प्रक्रियाओं एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये किया जावें। राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जावें जिस प्रयोजन हेतु राशि स्वीकृत की गई है।

स्वीकृत राशि में से कार्य निष्पादन कर्ता ऐजेंसी को राशि उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता की जाये। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त राशि के समायोजन हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय की लेखा शाखा में सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी को प्रस्तुत करने की सुनिश्चितता करें।

राशि का हस्तानान्तरण निदेशक, बजट, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा ऊपर तालिका में वर्णितानुसार सम्बन्धित निकाय के निजी निक्षेप खातें में किया जायेगा। इस स्वीकृति के लिये वित्त (व्यय–iii) विभाग राजस्थान, जयपुर की सहमति विभागीय पत्रावली पर आई.डी. क्रमांक 101802869 दिनांक 31.05.2018 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:–प.ह(ट)(329)/लेखा/डीएलबी/एमजेएसए/2018/ 5768-92 दिनांक: 1.6.18

प्रतिलिपिः– अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा–प्रथम/द्वितीय), राज0जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा. शासन विभाग, राज0, जयपुर।
7. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन है कि स्वीकृत राशि को सम्बन्धित नगर निकाय के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करने का श्रम करावें।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राज0 जयपुर।
9. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/कोटा/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/उदयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर/जयपुर शहर/अजमेर/जोधपुर शहर/ बीकानेर/उदयपुर।
12. आयुक्त, नगर निगम–जयपुर/अजमेर/जोधपुर/ बीकानेर/उदयपुर।
13. मुख्य प्रभारी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. प्रभारी अंक मिलान शाखा।

(दुलीस राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी